न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 101/19

प्रार्थी :–

1. हीराराम वल्द फुसाराम
2. वागाराम पुत्र मंगलाराम
3. चुकी पुत्री मंगलीया
4. मांगीदेवी पुत्री मंगलाराम
5. चुन्नीदेवी पत्नी मंगलाराम
6. केहराराम पुत्र मंजीराम
7. ताराराम पुत्र मंजीराम सभी जातियान मेगवंशी निवासी अम्बेडकर नगर, साजियाली पदमसिंह तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. सवीया उर्फ सवाराम पुत्र नेनीया
2. धींगडीया उर्फ धीगडराम पुत्र नैनीया
3. इन्द्राराम पुत्र शोभाराम
4. गीगाराम पुत्र फफाराम
5. समदा बेवा फफाराम
6. भैराराम पुत्र पुराराम
7. दीपाराम पुत्र पुराराम जाति मेगवंशी निवासीयान अम्बेडकर नगर साजियाली पदमसिंह तह पचपदरा
8. मृतक केसाराम के कायम मुकामात
   8/1 अन्तरो पुत्री केसाराम पत्नी जोगाराम सभी जाति मेगवंशी निवासी सवाऊपदमसिंह तह. गिडा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :– 1 श्री अचलाराम प्रार्थीगण वकील
2 श्री दिलीप सिंह भाटी विप्रार्थी वकील

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आदेश दिनांक :–22.10.2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,कि सरहद मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह के मूल खसरा न0 75 के तरमीमी खसरा सं. 248/75, 250/75, 249/75 कुल रकबा 121.07 बीघा मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तह. पचपदरा उपखण्ड बालोतरा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि अवस्थित है, उक्त भूमि में प्राथीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि अवस्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम बतौर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

खातेदार नाम दर्ज है । खसरा सं.77 रकबा 144.01 बीघा विप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है । खेत खसरा सं. 77 की भूमि में से प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा कास्त की भूमि खसरा सं. 248/75, 249/75, 250/75, तक जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट, 'अ' में मार्क 'अ' से 'ब' में 13 फीट चौडा आवागमन हेतु रास्ते की घोषणा करवाना चाहते है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2020 नोटिसेज जारी किये गये, जो बाद तामिल के पेश हुए। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से जबाब पेश कर जाहिर किया कि यदि प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ' अ' में दर्शाये मार्क अ से ब अनुार 2 गट्ठा चौडा खसरा सं. 77 में से प्रार्थीगण के खेत संख्या 250/75 तक आवागमन हेतु रास्ता दिया जाता है तो हम विप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है । विप्रार्थी संख्या 3,4,6,7व 8 ने जबाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र व नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' गलत पेश किया है । प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार रास्ता देने से खेत दो भागो में विभाजन हो जाऐगा जिससे विप्रार्थीण का परेशानी होगी विकल्प मे प्रार्थीगण को रास्ता जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' मे मार्क अ,ब,स,द,य, विकल्प 2 में मार्क अ,बस, र के अनुरूप रास्ता दिया जाएं ।

जबाब प्रस्तुत होने के बाद तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर दिनांक 12.12.2019 जारी की गयी जिसकी पालना रिपोर्ट में दिनांक 03.01.2020 को प्राप्त हुई जिस पर वकील विप्रार्थीगण ने एतराज किया जिस पर पुनः मौका रिपोर्ट बाबत दिनांक 28.01.2020 को तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 14.02.2020 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर पुनः विप्रार्थीगण द्वारा आपति की जाने पर दिनांक 3.09.2020 को पुनः तहरीर जारी कि गयी जिसकी पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्र कंमाक/राजस्व/2020/1845 दिनांक 22.09.2020 की न्यायालय में दिनांक 6.10.2020 को प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा अम्बेडकर नगर के खेत खसरा न0 250/75 तक आवागमन हेतु ख.न. 77 (खातेदारी भूमि)व खसरा न. 144/79 (गै0मु0गोचर) में प्रस्तावित की गई जिसका रकबा 01.14 बीघा है जो उपयुक्त एवं न्युनतम दुरी है। जिसकी वर्तमान डी0 एल0सी0 दर 30700/ रूपये प्रति बीघा जिसके अनुसार कुल राशि दुगुना की दर से 104380/ रूपये बनते है।

दोनो पक्षकारन वकील की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा अम्बेडकर नगर की जमाबदी सवंत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्रम मौजा अम्बेडकर नगर के 250/75 तक आवागमन हेतु ख.न. 77 (खातेदारी भूमि)व खसरा न. 144/79 (गै0मु0गोचर) में प्रस्तावित की गई जिसका रकबा 01.14 बीघा .है । चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है। वकील विप्रार्थी द्वारा जो विकल्प संख्या 1,2 बताया है उसके अनुसार मौके पर रास्ता दिया जाना संभव नहीं है जो मौका फर्द दिनांक 17.09.2020 में उल्लेखित तथ्यों के अनुार विप्रार्थीगण द्वारा बताये गये विकल्प अनुसार रास्ता दिने से उक्त रास्ता लम्बाई में 53 जरीब व चौडाई 2 गट्ठा अनुसार क्षेत्रफल 2.13 बीघा बनता है जो रेत के धोरे (टीले) से गुजरने के कारण दुर्गम रास्ता है जबकि परिशिष्ट 'अ' अनुसार रास्ते की लम्बाई 26 जरीब व चौडाई 2 बट्ठा से रास्ता का क्षेत्रफल 01.06 बीघा बनता है जो आवागमन हेतु सबसे निकटतम एवं सुगम रास्ता है। बाद गौर विप्रार्थीगण का एतराज अस्वीकार किया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा अम्बेडकर नगर 250/75 तक आवागमन हेतु ख.न. 77 (खातेदारी भूमि)व खसरा न. 144/79 (गै0मु0गोचर) में प्रस्तावित की गई जिसका रकबा 01.14 बीघा .में से प्रार्थीगण को आवागमन हेतु 13 फीट चौडा रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट अनुसार डीएलसी रेट 30700/ रूपये प्रति बीघा के अनुसार है जिसकी दुगनी दर से 104380/– रूपये बनते है । विप्रार्थीगण को अदा करे, विप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 22.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा